

जरी अहवाल

खनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं.

/ 202.....

विशेष विवरण

क्र. सं.

दिनांक आज्ञा या फरमानादी

आज्ञा विस्तृत रूप में

~~आज दिनांक 26/8/24 को राजकीय आवकाश देने के कारण दिनांक 27/8/24 को पेश हुई।~~

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश होय।

23/9/24

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4.11.24 को पेश होय।

4/11/24

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20.12.24 को पेश होय।

20.12.24

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को आज न्यायालय में प्रथम-पुनः समझ पर तीन-तीन बार यावाजे लजवात्री गयी। आवपूर यावाजे लजवाजे के उपरांत भी वादी के अधिवक्ता के हाजिर नही माने के कारण पत्रावली अस्तर्गत आदेश - 4 नियम - 3 प्रा० 310 के तहत अदम हाजरी व अदम फेरकी में शरियत की जाती है। पत्रावली लेखल शुमार होकर नकार ले कर होकर शरियत अन्तर्गत है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर